



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072026-274083
CG-DL-E-04072026-274083

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3431]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2026/आषाढ 10, 1948

No. 3431]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2026/ASHADHA 10, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2026

का.आ. 3566(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट जिले में NH-35 के कि.मी. 92.850 (प्रमुख सेतु) एवं कि.मी. 97.020 (लघु सेतु) पर सेतु उन्नयन हेतु (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अपर उप जिलाधिकारी कर्वी, चित्रकूट को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने

के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट जिले में NH-35 पर सेतु कि.मी. 92.850 (प्रमुख सेतु) एवं कि.मी. 97.020 (लघु सेतु) के निर्माण हेतु अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: चित्रकूट		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: कर्वी					
गांव का नाम: कल्ला					
1	397	निजी	कृषिक	0.0255 (हेक्टेयर)	0.0255
2	398	सामान्य	कृषिक/अकृषिक	0.1758 (हेक्टेयर)	0.1758
3	399	सरकारी	अकृषिक	0.0329 (हेक्टेयर)	0.0329
गांव का नाम: भौंगा					
4	123	निजी	कृषिक	0.1611 (हेक्टेयर)	0.1611
5	127	सरकारी	अकृषिक	0.1143 (हेक्टेयर)	0.1143
6	47	निजी	कृषिक	0.0828 (हेक्टेयर)	0.0828
7	48	निजी	कृषिक	0.141 (हेक्टेयर)	0.141
8	57	सरकारी	अकृषिक	0.098 (हेक्टेयर)	0.098
9	58	सरकारी	अकृषिक	0.1866 (हेक्टेयर)	0.1866
10	59	सरकारी	अकृषिक	0.1121 (हेक्टेयर)	0.1121
11	60	सरकारी	अकृषिक	0.1083 (हेक्टेयर)	0.1083
12	63	निजी	कृषिक	0.009 (हेक्टेयर)	0.009
गांव का नाम: बैहार					
13	544	निजी	कृषिक	0.1453 (हेक्टेयर)	0.1453
14	545	निजी	कृषिक	0.097 (हेक्टेयर)	0.097
15	546	निजी	कृषिक	0.1713 (हेक्टेयर)	0.1713
16	548	निजी	कृषिक	0.0321 (हेक्टेयर)	0.0321

17	614	सरकारी	अकृषिक	0.14 (हेक्टेयर)	0.14
18	615	सरकारी	अकृषिक	0.0935 (हेक्टेयर)	0.0935
19	616	सरकारी	अकृषिक	0.1137 (हेक्टेयर)	0.1137
20	665	निजी	कृषिक	0.0187 (हेक्टेयर)	0.0187
21	667	सामान्य	कृषिक/अकृषिक	0.0031 (हेक्टेयर)	0.0031
22	674	सरकारी	अकृषिक	0.1339 (हेक्टेयर)	0.1339
गांव का नाम: खुटहा					
23	5	निजी	कृषिक	0.0316 (हेक्टेयर)	0.0316
गांव का नाम: भंभई					
24	1024	निजी	कृषिक/अकृषिक	0.0032 (हेक्टेयर)	0.0032
25	1051	सरकारी	अकृषिक	0.0404 (हेक्टेयर)	0.0404
26	1052	सरकारी	अकृषिक	0.1015 (हेक्टेयर)	0.1015
27	1053	सरकारी	अकृषिक	0.1477 (हेक्टेयर)	0.1477
28	1054	निजी	कृषिक	0.1668 (हेक्टेयर)	0.1668
गांव का नाम: शिवरामपुर					
29	208	निजी	कृषिक	0.0097 (हेक्टेयर)	0.0097
30	210	निजी	कृषिक	0.1084 (हेक्टेयर)	0.1084
31	211	सरकारी	अकृषिक	0.2793 (हेक्टेयर)	0.2793
32	212	सरकारी	अकृषिक	0.2675 (हेक्टेयर)	0.2675
33	213	सरकारी	अकृषिक	0.2377 (हेक्टेयर)	0.2377
34	214	सामान्य	कृषिक/अकृषिक	0.0237 (हेक्टेयर)	0.0237
35	234	निजी	कृषिक	0.0025 (हेक्टेयर)	0.0025
36	292	सरकारी	अकृषिक	0.0023 (हेक्टेयर)	0.0023
Total					3.6183

[फा. सं. NH-35-UP-2025-26-780/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2026

S.O. 3566(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for bridge construction (widening to 2/4 lane bridge with paved shoulder etc.), maintenance, management and operation of NH-35 in the stretch of Land at bridges Km 92.850 (Major Bridge) & Km 97.020 (Minor Bridge) in the district of Chitrakoot in the state of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, **ASDM, Karwi Chitrakoot** in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the Land to be acquired with or without structures falling NH-35 in the stretch of land at bridges Km 92.850 (Major Bridge) & Km 97.020 (Minor Bridge) in the district of Chitrakoot in the state of Uttar Pradesh.

State: UTTAR PRADESH			District: CHITRAKOOT		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Karwi					
Village: Kalla					
1	397	Private	Agricultural	0.0255 (Hectare)	0.0255
2	398	Common	Agricultural/ Non Agricultural	0.1758 (Hectare)	0.1758
3	399	Government	Non Agricultural	0.0329 (Hectare)	0.0329
Village: Bhanga					
4	123	Private	Agricultural	0.1611 (Hectare)	0.1611
5	127	Government	Non Agriculture	0.1143 (Hectare)	0.1143
6	47	Private	Agricultural	0.0828 (Hectare)	0.0828
7	48	Private	Agricultural	0.141 (Hectare)	0.141
8	57	Government	Non Agricultural	0.098 (Hectare)	0.098
9	58	Government	Non Agricultural	0.1866 (Hectare)	0.1866

10	59	Government	Non-Agriculture	0.1121 (Hectare)	0.1121
11	60	Government	Non-Agricultural	0.1083 (Hectare)	0.1083
12	63	Private	Agricultural	0.009 (Hectare)	0.009
Village: Baihar					
13	544	Private	Agricultural	0.1453 (Hectare)	0.1453
14	545	Private	Agricultural	0.097 (Hectare)	0.097
15	546	Private	Agricultural	0.1713 (Hectare)	0.1713
16	548	Private	Agricultural	0.0321 (Hectare)	0.0321
17	614	Government	Non-Agricultural	0.14 (Hectare)	0.14
18	615	Government	Non Agricultural	0.0935 (Hectare)	0.0935
19	616	Government	Non Agricultural	0.1137 (Hectare)	0.1137
20	665	Private	Agricultural	0.0187 (Hectare)	0.0187
21	667	Common	Agricultural/ Non Agricultural	0.0031 (Hectare)	0.0031
22	674	Government	Non Agriculture	0.1339 (Hectare)	0.1339
Village: Khutaha					
23	5	Private	Agricultural	0.0316 (Hectare)	0.0316
Village: Bhambhai					
24	1024	Private	Agricultural/ Non Agricultural	0.0032 (Hectare)	0.0032
25	1051	Government	Non Agricultural	0.0404 (Hectare)	0.0404
26	1052	Government	Non Agricultural	0.1015 (Hectare)	0.1015
27	1053	Government	Non Agricultural	0.1477 (Hectare)	0.1477
28	1054	Private	Agricultural	0.1668 (Hectare)	0.1668
Village: Shivrampur					
29	208	Private	Agricultural	0.0097 (Hectare)	0.0097
30	210	Private	Agricultural	0.1084 (Hectare)	0.1084
31	211	Government	Non Agricultural	0.2793 (Hectare)	0.2793
32	212	Government	Non Agricultural	0.2675 (Hectare)	0.2675
33	213	Government	Non Agricultural	0.2377 (Hectare)	0.2377

34	214	Common	Agricultural/ Non Agricultural	0.0237 (Hectare)	0.0237
35	234	Private	Agricultural	0.0025 (Hectare)	0.0025
36	292	Government	Non Agricultural	0.0023 (Hectare)	0.0023
Total					3.6183

[F. No. NH-35-UP-2025-26-780/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director